

प्रेस नोट संख्या- 04

दिनांक 01.04.2026

सराहनीय कार्य अमेठी पुलिस

शातिर अभियुक्त रजनीश सिंह द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित की गई सम्पत्ति/वाहन कीमत 7.53 लाख रुपये) थाना कमरौली जनपद अमेठी पुलिस द्वारा की गई जब्त ।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री सरवणन टी. के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी मुसाफिरखाना श्री अतुल कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 01.04.2026 को मु0अ0सं0 20/25 धारा 2(ख)(1)/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना कमरौली जनपद अमेठी के अभियुक्त रजनीश सिंह पुत्र राज कुमार सिंह निवासी देवगिरि मजरे संसारपुर थाना बाजारशुक्ल जनपद अमेठी द्वारा कार्य सरकार मे अवरोध व सरकारी कर्मचारी को उपहति तथा हत्या का प्रयत्न करने का जघन्य एव गंभीर अपराध से अर्जित की गई 7.53 लाख रुपये का सम्पत्ति (ट्रैक्टर) को थाना कमरौली जनपद अमेठी पुलिस द्वारा जब्त किया गया । उक्त सम्पत्ति अभियुक्त द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित की गई थी ।

अभियुक्त का नाम व पता-

- रजनीश सिंह पुत्र राज कुमार सिंह निवासी देवगिरि मजरे संसारपुर थाना बाजारशुक्ल जनपद अमेठी ।

जब्त की गई सम्पत्ति:-

- 01 अदद ट्रैक्टर नं0 यूपी 36डब्लू 4961 (कीमत 7.53 लाख रुपये)

पुलिस टीम-

- श्री मुकेश पटेल थानाध्यक्ष कमरौली जनपद अमेठी मय टीम ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 1015/17 धारा 147/323/504/506/341/120बी भादवि थाना बाजारशुक्ल जनपद अमेठी ।
2. मु0अ0सं0 186/18 धारा 147/323/504/506/452 भादवि थाना बाजारशुक्ल जनपद अमेठी ।
3. मु0अ0सं0 159/23 धारा 147/323/506/504/325 भादवि थाना बाजारशुक्ल जनपद अमेठी ।
4. मु0अ0सं0 256/24 धारा 191(2)/191(3)/190/103(1)/351(2)/352/61(2) बीएनएस थाना बाजारशुक्ल जनपद अमेठी ।